भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4661
दिनांक 21 अगस्त, 2025

घरेलू गैस आवंटन नीति

4661. श्री आलोक शर्माः
श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री जनार्दन मिश्राः
श्री खगेन मुर्मुः
डॉ. लता वानखेड़ेः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में शहरी गैस वितरण (सीजीडी) संस्थाओं को घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन की पद्धति में संशोधन किया है;
(ख) यदि हाँ, तो नई गैस आवंटन प्रणाली का ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार पूर्ववर्ती प्रणाली से भिन्न है;
(ग) क्या नई नीति के अंतर्गत सीजीडी क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस के अग्रिम आवंटन का कोई प्रावधान किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) नई नीति के अंतर्गत शहरी और अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं के लिए वहनीयता और आपूर्ति का पूर्वानुमान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) सरकार नगर गैस वितरण (सीजीडी) कंपनियों को घरेलू स्तर पर उत्पादित प्राकृतिक गैस के आवंटन के लिए समय-समय पर अपनी नीति की समीक्षा करती है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही से प्रभावी संशोधित ढांचे के तहत, सीएनजी (टी) और पीएनजी (डी) खंडों के लिए आवंटन एक तिमाही के आधार पर आवंटन की पिछली प्रक्रिया के विपरीत अनंतिम रूप से दो-तिमाही अग्रिम आधार पर किया जाता है। आवंटन के दायरे में अब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के नामांकन क्षेत्रों से प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एपीएम) / गैर-प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (एनएपीएम) गैस और नए कूप गैस (एनडब्ल्यूजी) दोनों शामिल हैं। पेट्रोलियम

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार, एनडब्ल्यूजी के लिए पहले के नीलामी-आधारित आवंटन को गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सीजीडी संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुपात में त्रैमासिक आनुपातिक आवंटन के साथ बदल दिया गया है। यह सीजीडी कंपनियों के लिए बेहतर मांग पूर्वानुमान, कुशल आपूर्ति प्रबंधन और बढ़ी हुई आपूर्ति की भविष्यवाणी को सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, प्राकृतिक गैस के बढ़ते हुए मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए, सरकार ने ओएनजीसी/ओआईएल के नामांकन क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) ब्लॉकों और प्री-एनईएलपी ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए दिनांक 07.04.2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधित घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है, जहां उत्पादन साझाकरण संविदा(पीएससी) मूल्यों के सरकारी अनुमोदन का प्रावधान करता है। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, ऐसी प्राकृतिक गैस का मूल्य भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत के 10% के रूप में निर्धारित किया जाता है और मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाता है। ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा अपने नामांकन ब्लॉकों से उत्पादित गैस के लिए, प्रशासित मूल्य तंत्र (एपीएम) मूल्य $4.0/मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) की न्यूनतम और $6.5/एमएमबीटीयू की अधिकतम मूल्य के अधीन है। इस अधिकतम मूल्य को दो वित्त वर्ष (वर्ष 2023-24 और 2024-25) के लिए बनाए रखा जाएगा और तब $0.25/एमएमबीटीयू तक बढ़ाया जाएगा । इससे उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता आई है।

*****